



9053 9978 1000 (2 1/2)

S 345521

Deed No. 8973

8/18/2000

Summary of Endorsement

A Stamp Duty of Rs. 70300/- and other Fees of Rs. 23675/- has been paid in it.

The document has been registered as Deed No. **8973** in Book No. **1**, Volume No. **211** on pages from **285** to **296** and has been preserved in total **12** pages in C.D. No. **33** / Year **2015**

Token No: 10259/2015

Registering Officer, Patna

SCANNED BY
Akhilash JLP

निर्माण कार्य पूर्ण 20/11/2017
25/9/17
प्रमुख लिपि

[illegible]

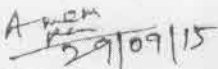
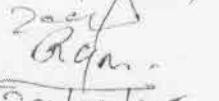
District Registry Office, Patna

Token Number 10259

Reg. Year 2015

Serial Number 10090

Deed Number 8973

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Md. Amim Alam (Partners)						
Sig.	 29/09/15						
Claimant	Md. Imran Ali (Partners)						
Sig.	 29/09/15						
Claimant	Md. Jawed Alam (Partners)						
Sig.	 29/09/15						
Executant	Kunti Devi						
Sig.							
Executant	Marachhi Devi	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.							
Presented By	Marachhi Devi						
Sig.							
Identified By	Sanjay Kumar						
Sig.							



सचिव न्यायिक प्रशासन
 डॉ. संजय कुमार
 29/09/15
 न्यायिक प्रशासन
 डॉ. संजय कुमार

1. लेख्यकारीगण(विकेतागण) का नाम एवं पूरा पता :-

1. श्रीमती मराक्षी देवी पति का नाम जुदागी महतो

2. श्रीमती कुन्ती देवी पति का नाम बासुदेव प्रसाद

दोनो के पिता का नाम स्वर्गीय जय किशुन महतो दोनो निवासीगण चुलहाईचक, थाना दानापुर हाल थाना रूपसपुर, जिला पटना, भारतीय नागरीक।

फार्म-60

17-9304508241

2. लेख्यधारीगण(केतागण)का नाम एवं पूरा पता :-

1. मो० अमीम आलम पिता का नाम मो० जावेद आलम निवासी एखलाकी लॉज, बाकरगंज, मोहरमपुर, थाना पिरबहोर, पत्रालय बाँकीपुर, जिला पटना, भारतीय नागरीक हैं।

P.A.N. APIPA5143B

2. मोहम्मद जावेद आलम पिता का नाम मोहम्मद फारुक आलम निवासी ग्राम एवं पत्रालय बेल, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद, भारतीय नागरीक हैं।

P.A.N. :- APBPA9233K

3. मो० इमरान अली पिता का नाम मोकीम अंसारी निवासी मोकीम मंजील ग्राम एवं पत्रालय दामोदरपुर, थाना कान्ती, जिला मुजफ्फरपुर, भारतीय नागरीक हैं।

P.A.N. ASAPA0525E

बहैसीयत पार्टनर ग्रीन ऑर्चीड, एक पार्टनरशीप संस्थान जो पार्टनरशीप एक्ट 1932 के अन्तर्गत निबंधित है तथा जिसका निबंधन सं० 779 दिनांक 07.09.2015 तथा तिनो पार्टनर के द्वारा संयुक्त कय में साझेदारी के केवाला के अनुसार हिस्सेदारी है।

3. लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विकय पत्र (Deed of Absolute Sale)

4. विकय सम्पत्ति का मुल्य :-

अंकण 8,46,000/- (अंकण आठ लाख छेयालीस हजार रुपया)



जिस कुंती देवी
का अंगीकार हुआ
29/9/15



श्री. मराक्षी देवी
का अंगीकार हुआ
29/9/15
श्री. मराक्षी देवी
का अंगीकार हुआ

50/6/15 मिला प्राप्त र. 8.46.000/- का अंगीकार हुआ
29/9/15
श्री. मराक्षी देवी
का अंगीकार हुआ
29/9/15

5. विक्रय सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

विदित हो की वह व्यवसायिक परती भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 10 धुर (दस धुर) अर्थात् 680.5 वर्गफीट अर्थात् 1.5625 डिसमील परती भूमी रैयती, नगदी, पैतृक सह स्वयं कय सम्पत्ति अवस्थित सर्वे मौजा सलेमपुर चतुरा उर्फ सैदपुरा, परगना फुलवारी शरीफ एवं सर्वे थाना दानापुर, जिला पटना सब रजिस्ट्री ऑफिस दानापुर एवं सदर रजिस्ट्री पटना अंतर्गत तौजी नं० 5312(पाँच हजार तीन सौ बारह) सर्वे थाना नं० 51(एकावन) खाता नं० 169(एक सौ उन्हत्तर) एवं कैडेस्ट्रल सर्वे प्लॉट नं० 901(नौ सौ एक) का अंश मालगुजारी सालाना अकॅण 1 रुपया अलावे शेष, बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर जो पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र(विघटीत) के अन्दर अवस्थित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है।

तौजी नं०	सर्वे थाना नं०	खाता नं०	सर्वे प्लॉट नं०	क्षेत्रफल
5312	51	169	901	10 धुर

—:: चौहद्दी ::—

उत्तर — फुलवारी जानीपुर मेन रोड
दक्षिण — पार्ट प्लॉट नं० 901 में नीज केंतागण
पूरब — हरचरण महतो
पश्चिम — सहायक रास्ता
दानापुर एम०भी०आर० थाना कोड सं० 173

—::विक्रय संदर्भ::—

विदित हो कि विक्रय सम्पत्ति जो इस विलेख के कंडिका नं० 5 में पूर्णतः वर्णित है जिसका स्वत्व अधिकार सह दखल कब्जा भूमी स्वामीगण लेख्यकारीगण के पिता श्री जय किशुन महतो पिता का नाम स्वर्गीय रामदहिन महतो निवासी बोचाचक, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना, की कय द्वारा केवाला निर्विवाद विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1943 ई० को द्वारा केवाला सं० 3164 बुक सं० 1, बही सं० 27, पृष्ठ सं० 582 से 583 तक अवर निबंधन कार्यालय पटना से निबंधित कराकर कुल क्षेत्रफल 5 कटठा भूमी कय किया केवाला निष्पादीत द्वारा मोती महतो पिता का नाम रामलाल महतो निवासी मन्दिरी, परगना फुलवारी शरीफ, थाना दिघा जिला पटना कय किया एवं कय के तिथी से लेख्यकारीगण के पिता श्री जय किशुन महतो अपने कय भूखण्ड अर्थात् विक्रय सम्पत्ति पर निर्विवाद रूप से रूप में दखलकार एवं पूर्ण मालीकाना अधिकार के अंतर्गत काबीज एवं दाखील हुए एवं रहते चले आते थे।



सर्वे क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
सं. 2/सं. 1/91/15
29/9/15

सर्वे क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
सं. 2/सं. 1/91/15
29/9/15

यह कि लेख्यकारीगण के पिता श्री जय किशुन महतो के स्वर्गवास के उपरांत लेख्यकारीगण अपने पैतृक सम्पत्ति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनीयम के अन्तर्गत संयुक्त दखलकार हुए तथा अपने संयुक्त स्वत्व अधिकार पर दखलकार हुए तथा पुर्ण स्वामीत्व अधिकार का शांतीपूर्वक उपभोग करती चली आ रही है।

यह कि लेख्य सम्पत्ति का मालगुजारी बिहार सरकार बहादुर के द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर, पटना के कार्यालय से बनाम लेख्यकारीगण के द्वारा दाखील खारीज वाद सं० 1407/2012-13 के द्वारा स्थापीत जमाबन्दी सं० 2688 के द्वारा कटती चली आ रही हैं।

यह कि लेख्यकारीगण अपने स्वयं के संयुक्त स्वत्व अधिकार 10 धुर भूखण्ड जो विक्रय सम्पत्ति है जिसका लेख्यकारीगण संयुक्त रूप से विक्रय बनाम लेख्यकारीगण के निष्पादीत कर रही है तथा इस प्रलेख के विक्रय के उपरांत विक्रय प्लॉट में लेख्यकारीगण का अथवा उनके किसी अन्य पटीदार अथवा अन्य किसी सह केतागण में से किसी का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार निहीत नहीं रह जाता है एवं लेख्यकारीगण को विक्रय पत्र का निष्पादन बनाम लेख्यकारीगण के निष्पादीत करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त है एवं विक्रय सम्पत्ति सभी प्रकार के स्वत्व दोष अधिग्रहण एवं ऋण भार से पुर्णतः एवं अंशतः मुक्त है तथा लेख्यकारीगण के द्वारा निष्पादीत ये केवाला विक्रय पत्र पुर्णतः प्रमाणीत सत्य एवं लेख्यकारीगण के पिता जय किशुन महतो के कय क्षेत्रफल आनुवांशीक उत्तराधिकार के अन्तर्गत प्राप्त खास स्वत्व अधिकार के अनुरूप है।

यह कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विक्रय सम्पत्ति पर लेख्यकारीगण का स्वत्व अधिकार एवं दखल कब्जा है एवं जिसपर लेख्यकारीगण संयुक्त रूप से तथा निर्विवाद रूप से पुर्ण स्वामीत्व अधिकार एवं दखल कब्जा का उपभोग करती चली आती है एवं विक्रय सम्पत्ति सभी प्रकार के स्वत्व दोष एवं ऋण भार इत्यादि से पुर्णतः मुक्त है, एवं सभी प्रकार के सरकारी अर्ध सरकारी के अधिग्रहण से पुर्णतः मुक्त है, धार्मिक न्यास परिषद, वक्फ बोर्ड अथवा खासमहाल, गैर मजरुआ आम एवं खास कैसर हिन्द की भूमी नहीं है, न ही विक्रय सम्पत्ति पर किसी प्रकार सरकारी मोवआवजा, ऋण अधिग्रहण राशी लिया गया है इस प्रकार विक्रय सम्पत्ति पुर्णतः स्वच्छ निर्मल एवं शांतीपुर्ण है एवं लेख्यकारीगण को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विक्रय सम्पत्ति में अपने कुल हिस्से के पैतृक सम्पत्ति जो इस केवाला का विक्रय सम्पत्ति है जिसका पुर्ण स्वत्व अधिकार जो इस विलेख के कण्डीका नं० 5 में पुर्णतः वर्णित विक्रय सम्पत्ति को विक्रय लेख्यकारीगण के पक्ष में करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त है।

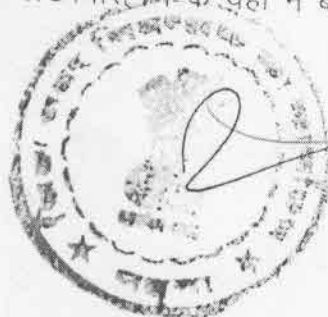


मि. कुंज बिहारी
ला. सं. २६८८/१४०७
२९/९/१५

मि. लेख्यकारीगण
ला. सं. २६८८/१४०७
२९/९/१५
मि. सराफा की
ला. सं. २६८८/१४०७

यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह तथ्य भी वर्णित करना आवश्यक है कि उपरोक्त सम्पत्ति लेख्यकारीगण के पैतृक सम्पत्ति में खास हक एवं हिस्से की सम्पत्ति है एवं लेख्यकारीगण को कय करने अन्य सम्पत्ति के तथा अन्य प्रकार के आवश्यक कानूनी, पारिवारिक खर्चों की पूर्ति करने एवं अन्य जरूरी खर्च के नितांत आवश्यक है एवं विकय सम्पत्ति विकय के सिवाए दूसरा कोई विकल्प नहीं रहने के कारण, अपने परिवार के अन्य कनीय तथा वरीय सदस्यों के हित में इस विलेख की कंडिका 5 में वर्णित सम्पत्ति के विक्रय करने की घोषणा कर प्रचार किया जिस पर अन्य ग्राहकों के साथ लेख्यधारीगण से भी बाते हुई लेकिन इस विलेख के लेख्यधारीगण के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य देने के लिए अन्य कोई दूसरा ग्राहक तैयार नहीं हुए फलतः लेख्यकारीगण बिना किसी लोभ, प्रलोभन, दबाव, धमकाव के तथा पूर्ण मानसिक संतुलन की स्थिती में मुल्यांकन अंकेण 8,46,000/- (अंकेण आठ लाख छेयालीस हजार रुपया) में अपने लाभ हानियों को भली-भांति समझ-बुझकर लेख्यधारीगण के साथ विक्रय की बातचीत को पक्का किया जो बाजार मूल्य के समतुल्य है जिसको लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारीगण ने सहर्ष बिना किसी प्रकार के बाहरी डर धमकाव जोर जबरदस्ती के अपने पांचो ज्ञानेन्द्रीयों के स्वस्थता की अवस्था में स्वीकार किया और यही कीमत वाजीब वो मुनासीब है इससे ज्यादा मूल्य देने को कोई दूसरा तैयार नहीं था और ना है।

यह कि लेख्यकारीगण अपने पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक के स्वस्थता के अवस्था में एवं अपने उत्तराधिकारीगण एवं कानूनी सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से राय मशवरा लेकर एवं सहर्ष बिना किसी प्रकार के बाहरी डर धमकाव जोर जबरदस्ती के अपने पांचो ज्ञानेन्द्रीयों के स्वस्थता की अवस्था में राजी खुशी के साथ एवं अपने-अपने सभी प्रकार के लाभ एवं हानी को अच्छी तरह से समझ एवं बुझकर कुल मुल्य अंकेण 8,46,000/- (अंकेण आठ लाख छेयालीस हजार रुपया) के साथ लेख्यधारीगण को विकय सम्पत्ति का विक्रय किया एवं इस विलेख पर अपना हस्ताक्षर करने एवं पांचों उंगलीयों का निशान बनाने से पुर्व लेख्यकारीगण लेख्यधारीगण के स्वयं के अर्जित धनराशी से जो विक्रय सम्पत्ति का कुल मूल्य है लेख्यधारीगण के स्वयं के खाता से इस केवाला निर्विवाद विक्रय पत्र विक्रय क्षेत्रफल के अनुसार संयुक्त रूप से वसूल एवं वेबाक पा चुके है एवं अब एक नया पैसा भी बजिम्मे लेख्यधारीगण के यहां न बाकी है वो न रहा।



सोहा राजेश कुमार
लां राजेश कुमार
29/9/2015

सोहा राजेश कुमार
लां राजेश कुमार
29/9/2015
सोहा राजेश कुमार
लां राजेश कुमार

इस प्रकार कुल मूल्य वसूली के उपरांत विक्रय सम्पत्ति जो इस निबंधित विलेख के कण्डिका नं० 5 में पूर्णतः वर्णित है बनाम वो बहक लेख्यधारीगण को बेचा एवं निर्विवाद विक्रय पत्र का निष्पादन एवं निबंधित किया एवं विलेख के कण्डिका नं० 5 में वर्णित विक्रय सम्पत्ति को बनाम एवं बहक लेख्यधारीगण के निष्पादित एवं निबंधित कर दिया एवं आज तारीख निष्पादन के लेख्यधारीगण को विक्रय सम्पत्ति का पूर्ण मालिकाना अधिकार एवं वास्तवीक कब्जा एवं दखल एवं कूल स्वामित्व अधिकार का हस्तांतरण कर दिया एवं दे दिया, एवं जो कुल स्वामित्व अधिकार एवं कुल स्वामित्व दखल कब्जा हक वो हकूक लेख्यकारीगण को विक्रय सम्पत्ति में हासील था एवं है कुल हक एवं हकूक बजिनसहु आज तारीख से बेला फर्क लेख्यधारीगण को हासील हुआ एवं भविष्य में सदा रहेगा, चाहिए कि लेख्यधारीगण जहां-जहां जरूरत समझे लेख्यकारीगण के नाम के स्थान पर अपना नाम बमकहमे सरकारी निज्द अंचल कार्यालय इत्यादि मे वो जहां-जहां जरूरी समझे दर्ज करा लेवें और जिस तरह चाहे विक्रय सम्पत्ति को अपने मर्जी के मुताबिक अपने पूर्ण स्वामित्व अधिकार के अन्तर्गत उपभोग करें एवं जिस प्रकार से चाहें विक्रय सम्पत्ति का प्रयोग करें।

यह कि लेख्यकारीगण ने लेख्यधारीगण को ये विश्वास दिलाया कि वो संयुक्तरूप से अथवा अकेले विक्रय सम्पत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई केवाला, विक्रय पत्र, दानपत्र, वसीयतनामा अथवा एकरारनामा अथवा पावर ऑफ अटर्नी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादीत नहीं किया है एवं यह विलेख लेख्यकारीगण के द्वारा विक्रय सम्पत्ति के संदर्भ में लेख्यधारीगण के पक्ष में किया गया पहला एवं अंतिम केवाला है।

यह कि बाद निष्पादन एवं निबंधण इस निबंधित विलेख के विक्रय सम्पत्ति के स्वामित्व एवं अधिकार में किसी तरह का कोई दावा यदि किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह गलत एवं नाजायज होगा, फिर भी यदि किसी का दावा यदि किसी न्यायालय से सही और मान्य पाया जाय एवं जिस कारण से विक्रय सम्पत्ति के पूर्णतः अथवा अंशतः भाग से लेख्यधारीगण या उनके अन्य किसी भी प्रतिनिधी एवं उत्तराधिकारीगण को विक्रय सम्पत्ति से बेदखल होना पड़े या हो जाए तो ऐसी हालत में लेख्यधारीगण को हक एवं अधिकार हासील होगा कि वो कारवाई कानूनी अजरुये नालीस अदालत के लेख्यकारीगण के जात खास एवं अन्य चल अचल सम्पत्ति नामी वो बेनामी जहां कहीं भी हो उससे



सिद्धि अंशतः देवा
क. सं. 17/12/15
29/9/15
सिद्धि अंशतः देवा
क. सं. 17/12/15
29/9/15
सिद्धि अंशतः देवा
क. सं. 17/12/15
29/9/15

विक्रय सम्पत्ति के समतुल्य भूमि के क्षेत्रफल का हस्तांतरण लेख्यकारीगण के अन्य स्वत्त्व अधिकार के अन्य सम्पत्ति से बिना किसी प्रकार के प्रतिफल के भुगतान के लेख्यकारीगण से अपने पक्ष में निबंधन एवं निष्पादन करवा लेंगे एवं इसमें लेख्यकारीगण खाह उत्तराधिकारीगण अथवा प्रतिनिधीगण लेख्यकारीगण को कोई आक्षेप एवं एतराज नहीं होगा एवं न करेंगे अगर करें तो उसे सरासर असत्य नाजायज एवं अव्यवहारिक समझा जाएगा एवं विक्रय सम्पत्ति के किसी व्यवहार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत एवं मान्य नहीं होगा।

इस वास्ते लेख्यकारीगण ने यह केवाला निर्विवाद विक्रय पत्र का बनाम एवं बहक लेख्यकारीगण के अपने शरीर एवं दिमाग के पुर्ण स्वस्थता में बिना किसी जोर एवं दबाव के अपनी स्वेच्छा से गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

निष्पादन की तिथि :- 29 सितम्बर 2015 ई०
गवाहान का हस्ताक्षर

① संजय कुमार
वांकी लाल खर पुखाद
वांकी लाल पुखाद
29/9/15

② संतोष कुमार
व० २० म०ली लाल
राम नगर ब०न्याचक
कुलवारी शरित
(पटना)

29/9/15

संजय कुमार
29/9/15

लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर
① 29/9/15

② 29/9/15
लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

विदीत हो की ये केवाला एवं नजरी नक्शा लेख्यकारीगण एवं लेख्यकारीगण के कथनानुसार पर मेरे द्वारा 7 पृष्ठों में तैयार किया गया है।

Bimoy Krishna

अधिवक्ता
सिवील कोर्ट पटना।



8.

1. लेख्यकारीगण(विकेतागण) का नाम :-

1. श्रीमती मराक्षी देवी पति का नाम जुदागी महतो

2. श्रीमती कुन्ती देवी पति का नाम बासुदेव प्रसाद

दोनों के पिता का नाम स्वर्गीय जय किशुन महतो दोनों निवासीगण चुलहाईचक, थाना दानापुर हाल थाना रूपसपुर, जिला पटना,

2. लेख्यधारीगण(केतागण)का नाम :-

1. मो० अमीम आलम पिता का नाम मो० जावेद आलम निवासी एखलाकी लॉज, बाकरगंज, मोहरमपुर, थाना पिरबहोर, पत्रालय बाँकीपुर, जिला पटना,

2. मोहम्मद जावेद आलम पिता का नाम मोहम्मद फारुक आलम निवासी ग्राम एवं पत्रालय बेल, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद,

3. मो० इमरान अली पिता का नाम मोकीम अंसारी निवासी मोकीम मंजील ग्राम एवं पत्रालय दामोदरपुर, थाना कान्ती, जिला मुजफ्फरपुर,

बहैसीयत पार्टनर ग्रीन ऑर्चीड, एक पार्टनरशीप संस्थान जो पार्टनरशीप एक्ट 1932 के अन्तर्गत निबंधित है तथा जिसका निबंधन सं० 779 दिनांक 07.09.2015 तथा तिनो पार्टनर के द्वारा संयुक्त क्रय में साझेदारी के केवाला के अनुसार हिस्सेदारी है।

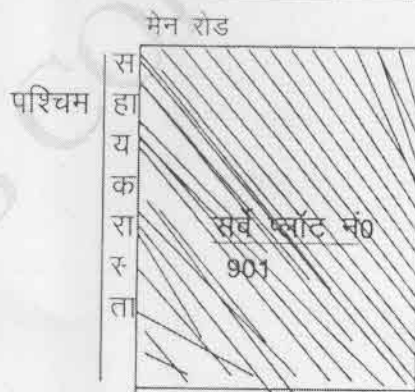
3. विक्रय सम्पत्ति विवरण :-

क्षेत्रफल 10 धुर अर्थात् 680.5 वर्गफीट अर्थात् 1.5625 डिसमील परती भूमी अवस्थित सर्वे मौजा सलेमपुर चतुरा उर्फ सैदपुरा, सर्वे थाना दानापुर, जिला पटना अंतर्गत तौजी नं० 5312 सर्वे थाना नं० 51 खाता नं० 169 सर्वे प्लॉट नं० 901

नोट:- विक्रय सम्पत्ति मुख्य मार्ग से लगे है

विक्रय सम्पत्ति का नजरी नक्शा

उत्तर



हरिचरण
महतो

पुरब

सर्वे प्लॉट नं० 901 का अंश
दक्षिण



① Anam
29/09/15

② 29/09/15

③ 29/09/15

मो० मराक्षी देवी
वां सैजम लुमए

मो० मराक्षी देवी
वां सैजम लुमए
29/9/15

मो० मराक्षी देवी
वां सैजम लुमए
29/9/15

2 online chalan
मो० मराक्षी देवी
वां सैजम लुमए
Satyash
29/9/15

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '23'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 53380/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 16920/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper Rs. 1000/-
Amt. paid through Bank Challan Rs. 92975/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee	Service Charge		
FEE PAID	A1	17800	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	500	300
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee	50	
	A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25	Total	550	
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0			
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0					
	TOTAL-										22825		
Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -											23675		

Date: 29/09/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Tuesday, 29th September 2015 by Marachhi Devi W/O-
Judagi Mahato by profession House Wife. Status - Executant

Signature/L.T.I. of Presenting Officer
Date: 29/09/2015

Date: 29/09/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sanjay Kumar' age '33'
Sex 'M', 'S/O-Kameshwar Prasad', resident of 'R/O-18, Bocha Chak, Phulwari Sharif, Patna (Bihar)'), whose
Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 29/09/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 211 on pages on 285 -296 , for the year 2015 and
stored in CD volume No. CD-33 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 29/09/2015
Token No. : 10259

Year : 2015 S.No. : 10090

SCORE Ver.3.0

Deed No. : 8973



Registering Officer
Patna


ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
KBV6349633

Elector's Name : Sanjay Kumar
 पिता का नाम : संजय कुमार
Father's Name : Kameshwar Prasad
 पिता का नाम : कामेश्वर प्रसाद
Sex : Male पुरुष
 आयु : 23 years as on 1.1.2005
 जारी तिथि : ०६/०९/२००५

**Address : 18,Bocha Chak, Bocha Chak,
 Town/Vill - Bochachak,
 Anchal - Phulwari Sharif,
 Distt - Patna**

**पता : १८, बोचा चक, बोचा चक,
 शहर/गाँव - बोचाचक,
 अंचल - फुलवारी शरीफ,
 जिला - पटना**

**Facsimile Signature of
 Electoral Registration Officer
 193, FULWARI(SC) Constituency
 १९३, फुलवारी(अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र
 के निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी
 के हस्ताक्षर की अनुकृति**

Place : Patna Sadar Date : 06/09/2005
स्थान : पटना सदर दिनांक : ०६/०९/२००५

**This Card may be used as an identity card
 under different Government Schemes.
 इस पत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत
 पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।**

KBV6349633

**पहचानकर्ता
 संजय कुमार
 २९/११/०५**





भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

सायाकन क्रम / Enrollment No. : 1214/89042/27383

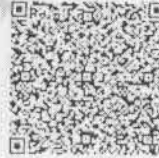
To
Marchhiya Devi
मरछिया देवी
W/O: Judagi Prasad
Chulihai Chak
Dinapur-Cum-Khagaul
Khagaul Patna
Bihar - 801105
9631584947

09/01/2015



KH120495405FT

12049540



मि. मरछिया देवी
का सायाकन क्रमांक

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

4676 2915 9097

26/9/15

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार

Government of India

मरछिया देवी
Marchhiya Devi



जन्म तिथि / DOB: 20/08/1953
लिंग / Gender: Female

4676 2915 9097



आधार - आम आदमी का अधिकार